श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री विजय भाटिया पुत्र श्री गुरचरण लाल भाटिया निवासी बी 3 चैतालि इन्कलैव नजदीक अंध विद्यालय के पास तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूल रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता कान्ता भाटिया पत्नी स्व0 श्री गुरचरण लाल भाटिया निवासी 98 एच ब्लॉक जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 05.12.2005 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। प्रार्थी की माता का देहान्त दिनांक 31.12.2019 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 05.12.2005 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहान अभिजीत भाटिया पुत्र विजय भाटिया एवं मोहन लाल पुत्र धूडा राम ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

<u>जिला पंजीयक महोदय</u>